तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
27.6.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री एस.पी.औझा, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय अति0 उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी (इं0गा0न0प0) बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं. 1 से 4 वादीगण ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन–प्रथम बीकानेर के समक्ष बाबत विवादित आराजी पेश किया। न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन–प्रथम बीकानेर ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 31–01–2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय अति0 उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी (इं0गा0न0प0) बीकानेर के समक्ष पेश की। अति0 उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी (इं0गा0न0प0) बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 16–3–05 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से वादीगण को बेदखल नही करने व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3. विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि विवादित आराजी रकबा राज है जिस पर अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। वादीगण ने पूर्व में भी इसी विवादित आराजी के बाबत् वाद पेश किया था जिसे न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन–कोलायत ने निर्णय दिनांक 16–7–83 से डिक्री किया था। जिसे मंडल ने रेफरेंस के द्वारा निर्णय दिनांक 15–7–91 से रेफरेंस स्वीकार करते हुये न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन–कोलायत का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–7–83 को निरस्त करते हुये विवादित आराजी को पुनः रकबा राज/सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये थे। इस प्रकार पुनः इसी भूमि के बाबत् वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। पश्चातवर्ती वाद चलने योग्य नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने दावे में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण द्वारा साबित नहीं करने पर खारिज किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये अप्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। 4. राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय अति0 उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी (इं0गा0न0प0) बीकानेर ने स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से वादीगण को बेदखल नही करने व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूणीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण घटक को ही देखना होता है तथा अन्य विषय वस्तु वाद के अंतिम निस्तारण के समय गुणावगुण पर तय की जानी होती है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज है। प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण घटक अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना मानते हुये विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत् नहीं माना है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी के सम्बंध में प्रथम दृष्ट्या कोई टाईटल उजागर नहीं है। मंडल ने रेफरेंस में पारित निर्णय दिनांक 15–7–91 से रेफरेंस स्वीकार करते हुये न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन–कोलायत का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–7–83 को निरस्त किया है तथा विवादित आराजी को पुनः रकबा राज/सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये है। इस प्रकार पुनः इसी भूमि के बाबत् वादीगण द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जरिये विवादित राजकीय आराजी के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये अप्रार्थीगण वादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया था किंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये, विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में स्पष्टतः तात्विक त्रुटि कारित की है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। 6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि न्यायालय अति0 उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी (इं0गा0न0प0) बीकानेर ने अप्रार्थीगण वादीगण की अपील स्वीकार कर न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन–प्रथम बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–1–04 को निरस्त करने में स्पष्ट तात्विक त्रुटि कारित की है, जो समर्थनीय नहीं होकर निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अति0 उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी (इं0गा0न0प0) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–3–05 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन–प्रथम बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–1–04 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मदनलाल नेहरा) सदस्य	

निगरानी / टी.ए./ 2788/ 2005/ जिला बीकानेर
सरकार बनाम शंकरलाल